गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

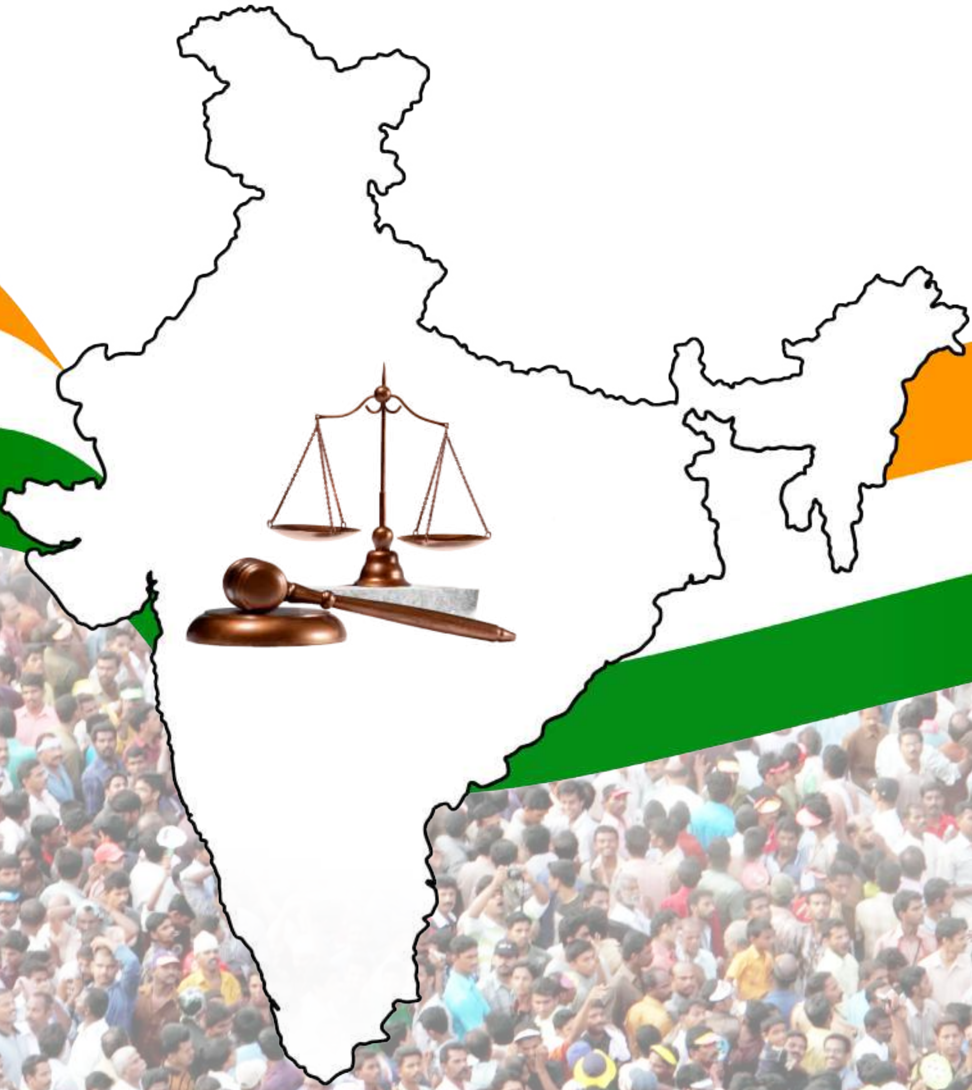

COMMUNITY SERVICE

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

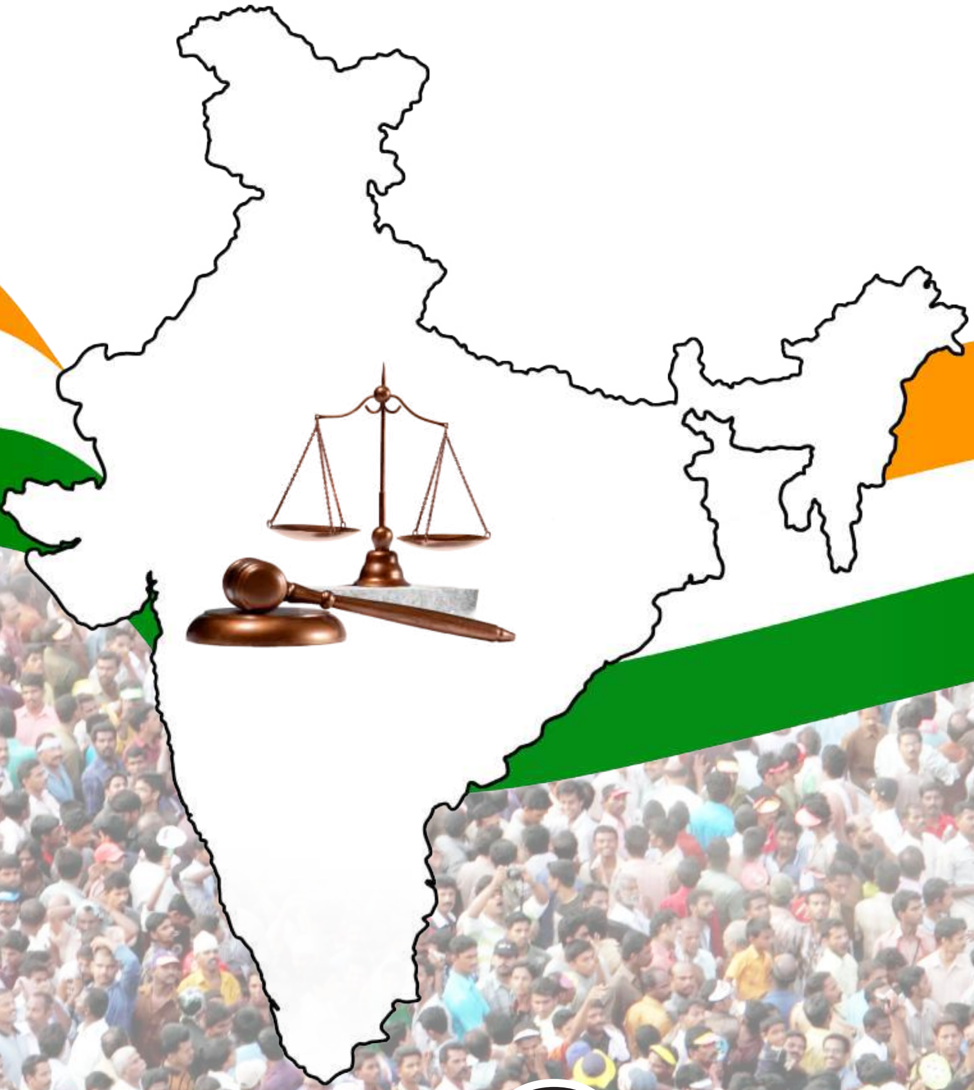

सामुदायिक सेवा

Building bonds: Justice through harmonising communities

♦Introduction of Community Service

The introduction of community service for minor offences marks a groundbreaking approach in India's legal system. This involves the completion of unpaid work within a given timeframe as a form of reparative sanction, which correlates the nature of the service to the offence committed. It fosters a sense of responsibility in the offender and lightens the load on the prison system, in line with the concepts of resocialisation and restorative justice.

Community service can benefit various groups in need, including children, the elderly, people with disabilities, and language learners. Additionally, it can be used to provide help to animals in shelters or can contribute to the improvement of public places such as local parks, historic sites, scenic areas, and more.

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

‘समुदायों की सेवा करना: सामुदायिक सद्भाव के माध्यम से न्याय!’

सामुदायिक सेवा का परिचय

भारतीय कानून के इतिहास में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की शुरूआत एक क्रांतिकारी कदम है। सामुदायिक सेवा में एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अवैतनिक कार्य का निष्पादन शामिल होता है, जो एक क्षतिपूर्ति मंजूरी के रूप में होता है। यह सेवा की प्रकृति को स्वीकृत किए जाने वाले अपराध से जोड़ता है। यह अपराधी को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदारी प्रदान करता है और कारावास की व्यवस्था पर बोझ को कम करता है, जो पुनर्समाजीकरण और पुनर्स्थापनात्मक न्याय के दर्शन के अनुरूप है।

सामुदायिक सेवा जरूरतमंद लोगों के किसी भी समूह की मदद कर सकती है। मसलन, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग लोग, भाषा सीखने वाले आदि। यह आश्रय स्थलों पर जानवरों की भी मदद कर सकती है। इसका उपयोग स्थानीय पार्क, ऐतिहासिक इमारतें, दर्शनीय क्षेत्र आदि स्थानों को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।

Community service for offences under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023

- Involvement of public servants in illegal trade (Section 202).
- Non-appearance in response to a proclamation (Section 209).
- Attempt to commit suicide to influence legal authority (Section 226).
- First conviction of petty theft involving property valued below ₹5,000. (Section 303 (2).
- Public misconduct by a drunken person (Section 355).
- Defamation [Section 356(2)].

भारतीय न्याय संहिता के अनुसार अपराध सामुदायिक सेवा के लिए पात्रः

1. अवैध व्यापार में लोक सेवकों की संलिप्तता–धारा 202.
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023– धारा 209 की धारा 84 के तहत एक उद्घोषणा के जवाब में गैर–उपस्थिति।
3. वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास– धारा 226।
4. 5000 रुपये से कम के अपराध के लिए संपत्ति की चोरी की पहली सजा – धारा 303(2).
5. शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर दुराचार – धारा 355.
6. मानहानि– धारा 356(2) आदि

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

NEW CRIMINAL LAWS

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS
सत्यमेव जयते

नए आपराधिक कानून

MYTH ✗

The new criminal laws threaten individual freedom, aim to establish a police state.

TRUTH ✓

- **Safeguards against misuse:** The new laws incorporate safeguards to prevent misuse of power, emphasising accountability and transparency in law enforcement actions, instilling confidence in the justice system.

- **Transparency and accountability:** The provision for audio-video recording of search and seizure operations ensures transparency, fostering police accountability and safeguarding individual rights.

- **Accessibility and convenience:** The e-FIR provision enhances accessibility, allows individuals to lodge complaints from anywhere, reduces barriers and ensures timely legal remedies.

- **Efficient judicial process:** Permitting trials in absentia streamlines legal proceedings, addressing delays caused by absconding accused individuals and ensuring a more efficient justice delivery system.

मिथक ✗

नए आपराधिक कानून निजी स्वतंत्रता के लिए खतरा हैं और एक पुलिस राज्य स्थापित करते हैं।

सच ✓

- **दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा यूक्ति**: नए कानूनों में सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है, कानून प्रवर्तन कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है, जिससे न्याय प्रणाली में विश्वास पैदा हुआ है।

- **पारदर्शिता और जवाबदेही (बीएनएस धारा 105)**: तलाशी और जब्ती अभियानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, पुलिस की जवाबदेही को बढ़ावा देता है और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करता है।

- **शक्ति का दुरुपयोग रोकना**: पहुंच और सुविधा (बीएनएस ई-एफआईआर प्रावधान) : ई-एफआईआर प्रावधान पहुंच को बढ़ाता है, जिससे व्यक्तियों को कहीं से भी शिकायत दर्ज करने, बाधाओं को कम करने और समय पर कानूनी उपचार सुनिश्चित करने की अनुमति मिलती है।

- **कुशल न्यायिक प्रक्रिया (अनुपस्थिति में बीएनएसएस परीक्षण)**: अनुपस्थिति में मुकदमे की अनुमति कानूनी कार्यवाही को सुव्यवस्थित करती है, फरार आरोपी व्यक्तियों के कारण होने वाली देरी

- **Jurisdictional flexibility:** Provision of Zero FIR eliminates jurisdictional constraints, enabling individuals to file complaints at any police station, thereby expediting the legal process and improving citizen-friendliness.

- **Oversight mechanisms and accountability:** Strict oversight mechanisms, including mandatory recording of arrests and evidence provision, act as preventive measures against potential police excesses, ensuring adherence to legal procedures.

- **Protection of fundamental rights:** The laws prioritise the protection of fundamental rights, including the right to free speech and peaceful assembly, allaying concerns of arbitrary suppression of dissent.

को संबोधित करती है और एक अधिक कुशल न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है।

- **क्षेत्राधिकार लचीलापन (बीएसए शून्य एफआईआर)**: शून्य एफआईआर संहिताकरण क्षेत्राधिकार संबंधी बाधाओं को समाप्त करता है, जिससे व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर सकता है, जिससे कानूनी प्रक्रिया में तेजी आती है और नागरिक-मित्रता में सुधार होता है।

- **निरीक्षण तंत्र और जवाबदेही (बीएनएस गिरफ्तारी रिकॉर्डिंग)**: सख्त निरीक्षण तंत्र, जिसमें गिरफ्तारी की अनिवार्य रिकॉर्डिंग और साक्ष्य प्रावधान शामिल हैं, संभावित पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ निवारक उपायों के रूप में कार्य करते हैं, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करते हैं।

- **मौलिक अधिकारों की सुरक्षा (बीएनएस सुरक्षा अधिकार)**: कानून मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें स्वतंत्र भाषण और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार भी शामिल है, जो असहमति के मनमाने दमन की चिंताओं को दूर करता है।

MYTH ✗

The new criminal laws are mere repackaging of existing draconian provisions.

TRUTH ✓

The new laws enshrine the concept of justice embedded in our civilization to improve the criminal justice system of the country. While the old laws were British legacies which were introduced by the colonial masters to enforce and strength their rule in India. The new laws are citizen centric, victim centric, sensitive to offences against women and child, new punishment like community service, categorising new offences like 'deshdroh', terrorist act, mob lynching, organised crime, petty organised crime, snatching, etc. Enhanced punishments in 33 offences, simplified laws by reducing 511 sections to 358 sections.

- **Repeal of sedition:** The colonial legacy related to sedition sections in IPC has been removed in the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. The repeal of erstwhile Section 124A (sedition) is a positive step, addressing concerns of misuse against dissenters and critics of the Government.

मिथक ✗

नए आपराधिक कानून, मौजूदा सख्त प्रावधानों की महज एक पुनर्पैकेजिंग हैं।

सच ✓

नए कानून देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करते हैं, जो हमारी सभ्यता में अंतर्निहित न्याय की अवधारणा को स्थापित करते हैं। पुराने कानून ब्रिटिश विरासत थे जिन्हें औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारत में प्रशासन को लागू करने और मजबूत करने के लिए लागू किया गया था। यह नागरिक केंद्रित है, पीड़ित केंद्रित है, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति संवेदनशील है, सौदेबाजी की दलील, सामुदायिक सेवा जैसी नई सजा, देशद्रोह, आतंकवादी कृत्य, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, स्नैचिंग आदि जैसे अपराध हैं। 33 अपराध, 511 धाराओं को घटाकर 358 धाराएं कर सरल कानून।

- **राजद्रोह को निरस्त करना**: आईपीसी में राजद्रोह की धाराओं से संबंधित औपनिवेशिक विरासत को बीएनएस 2023 में हटा दिया गया है। पूर्ववर्ती धारा 124ए (देशद्रोह) को निरस्त करना एक सकारात्मक कदम है, जो सरकार के असंतुष्टों और आलोचकों के खिलाफ दुरुपयोग की चिंताओं को संबोधित करता है।

- **लिंग-तटस्थ प्रावधान**: एनसीएल कानूनी ढांचे में समावेशिता और समानता को बढ़ावा देते हुए लिंग-तटस्थ भाषा को शामिल करता है।

Gender-neutral provisions: The new laws incorporate gender-neutral language, promoting inclusivity and equality in the legal framework.

- **Mental health terminology:** Replacing 'insanity' with 'mental illness' in legal language demonstrates a more modern and sensitive approach to mental health.

- **Time-bound prosecution for civil servants:** Providing time-bound approval for prosecuting civil servants ensures a more efficient legal process, fostering accountability and preventing undue delays in addressing allegations of misconduct.

- **Community service for criminal defamation:** Shifting from imprisonment to community service for criminal defamation aligns with modern approaches to justice, emphasising rehabilitation and societal contribution over punitive measures.

- **मानसिक स्वास्थ्य शब्दावली**: कानूनी भाषा में 'पागलपन' को 'मानसिक बीमारी' से प्रतिस्थापित करना मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अधिक आधुनिक और संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है।

- **सिविल सेवकों के लिए समयबद्ध अभियोजन**: सिविल सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए समयबद्ध मंजूरी प्रदान करना प्रशिक्षत कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। यानी यह जवाबदेही को बढ़ावा देता है और कदाचार के आरोपों को संबोधित करने में अनुचित देरी को रोकता है।

- **आपराधिक मानहानि के लिए सामुदायिक सेवा** : आपराधिक मानहानि के लिए कारावास से सामुदायिक सेवा में स्थानांतरण न्याय के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें दंडात्मक उपायों पर पुनर्वास और सामाजिक योगदान पर जोर दिया गया है।

MYTH ✗

The extension of custody from 15 to 90 days in the new criminal laws is a shocking provision enabling police torture.

TRUTH ✓

Section 187 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita (BNSS) lays down the procedure when investigation is not completed within 24 hours.

Whenever a person is arrested and held in custody and if the investigation cannot be completed within 24-hours, the officer in charge of the police station or the investigating police officer must immediately send a copy of the diary entries for the case to the nearest magistrate and also present the accused before that magistrate.

The magistrate authorises, from time to time, the detention of the accused in such custody for a term not exceeding 15 days in whole, or in parts, at any time during the initial 40 days or 60 days out of detention

मिथक

नए आपराधिक कानूनों में हिरासत की अवधि 15 से बढ़ाकर 90 दिन करना पुलिस को यातना देने वाला एक चौंकाने वाला प्रावधान है।

सच

भारतीय न्याय संहिता की धारा 187 ने 24 घंटे के भीतर जांच पूरी नहीं होने पर प्रक्रिया निर्धारित की है।

जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में रखा जाता है। इसके बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि जांच चौबीस घंटे की अवधि के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है, तब पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या जांच करने वाला पुलिस अधिकारी तुरंत मजिस्ट्रेट मामले से संबंधित डायरी में प्रविष्टियों की एक प्रति, और आरोपी को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा।

मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि वह समय-समय पर इसकी समीक्षा कर सकता है। प्रारंभिक चालीस दिनों के दौरान या साठ दिनों की हिरासत अवधि में से साठ दिनों के दौरान किसी भी समय, पूरे या आंशिक रूप से पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी हिरासत में अभियुक्त की हिरासत को अधिकृत कर सकता है। यह समय सीमा नब्बे दिन की भी हो सकती है।

period of 60 days or 90 days.

The magistrate may authorise the detention of the accused person, beyond the period of 15 days, if he/she is satisfied that adequate grounds exist for doing so, but no magistrate shall authorise the detention of the accused person in custody under this sub-section for a total period exceeding 90 days, where the investigation relates to an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term of 10 years or more; and 60 days, where the investigation relates to any other offence.

No magistrate shall authorise detention of the accused in custody of the police under this section unless the accused is produced before him in person for the first time and subsequently every time till the accused remains in the custody of the police, but the magistrate may extend further detention in judicial custody on production of the accused either in person or through the audio-video electronic means.

यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है, तो वह पंद्रह दिनों की अवधि से परे आरोपी व्यक्ति की हिरासत को अधिकृत कर सकता है, लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट इस उपधारा के तहत आरोपी व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा। कुल अवधि नब्बे दिन से अधिक, जहां जांच मौत, आजीवन कारावास या दस साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है और साठ दिन, जहां जांच किसी अन्य अपराध से संबंधित हो।

कोई भी मजिस्ट्रेट इस धारा के तहत आरोपी को पुलिस की हिरासत में रखने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि आरोपी को उसके सामने पहली बार व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जाता है और उसके बाद हर बार जब तक आरोपी पुलिस की हिरासत में रहता है, लेकिन मजिस्ट्रेट इसे आगे भी बढ़ा सकता है। अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से या ऑडियो–वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेश करने पर न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा।

MYTH ✗

Sedition is gone, but appears as "Deshdroh" in Bharatiya Nyaya Sanhita 2023

TRUTH ✓

The colonial legacy related to sedition sections in IPC has been removed in the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023. The new laws enshrine the concept of justice embedded in our civilisation to improve the criminal justice system of the country. The old laws were British legacies which were introduced by the colonial masters to enforce and strength their colonial administration in India.

- **Clarity in definitions (BNS Section 152):** BNS brings clarity by explicitly defining actions endangering the "sovereignty, unity, and integrity of India." This replaces colonial-era language with terminologies more aligned with the democratic interests of Swatantra Bharat.

मिथक

राजद्रोह चला गया, लेकिन यह भारतीय न्याय संहिता 2023 में ‟देशद्रोह" के रूप में दिखाई दिया।

सच

भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह की धाराओं से संबंधित औपनिवेशिक विरासत को भारतीय न्याय संहिता 2023 में हटा दिया गया है। नए कानून देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए हमारी सभ्यता में अंतर्निहित न्याय की अवधारणा को स्थापित करते हैं। पुराने कानून ब्रिटिश विरासत थे। इन्हें औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारत में प्रशासन को लागू करने और मजबूत करने के लिए लागू किया गया था।

- **परिभाषाओं में स्पष्टता (भारतीय न्याय संहिता धारा 152):** भारतीय न्याय संहिता 'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता' को खतरे में डालने वाले कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके स्पष्टता लाता है। यह औपनिवेशिक युग की भाषा को स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक हितों के साथ अधिक संरेखित शब्दों से प्रतिस्थापित करता है।

- **व्यापक सुरक्षा के दायरे का विस्तार (भारतीय न्याय संहिता धारा 152):** भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के विपरीत, भारतीय न्याय संहिता धारा 152 सरकार के प्रति नफरत पैदा करने वाली अभिव्यक्तियों को अपराधीकरण करने से परे है। इसमें सशस्त्र विद्रोह, विनाशकारी

- **Expanding scope for comprehensive protection (BNS Section 152):** Unlike IPC Section 124A, BNS Section 152 goes beyond criminalising expressions causing hatred toward the Government. It includes terms like armed rebellion, destructive activities, and separatist activities, providing a comprehensive approach to protect the nation's integrity.

- **Inclusion of vemocratic Values:** BNS 2023 introduces the element of 'intent' in the definition of treason, allowing for a more nuanced understanding. This inclusion safeguards freedom of speech and expression by distinguishing between deliberate threats to the nation and genuine expressions of opinion.

गतिविधियां और अलगाववादी गतिविधियां जैसे शब्द शामिल हैं, जो देश की अखंडता की रक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश : भारतीय न्याय संहिता 2023 देशद्रोह की परिभाषा में 'इरादे' के तत्व का परिचय देता है। यानी इससे अधिक सूक्ष्म समझ की अनुमति मिलती है। यह समावेश राष्ट्र के लिए जानबूझकर किए गए खतरों और विचारों की वास्तविक अभिव्यक्ति के बीच अंतर करके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

MYTH ✕

Potential misuse of organised crime offences by involving innocents

TRUTH ✓

- **Dedicated framework:** BNS 2023 introduces a dedicated Section 111 to combat organised crime, reflecting a proactive approach to eliminate unlawful activities orchestrated by syndicates. This ensures a targeted and effective response to internal security threats.

- **Comprehensive definition:** Section 111 of BNS 2023 clearly defines organised crime, encompassing a broad spectrum of offences such as kidnapping, robbery, cybercrimes, etc. This comprehensive definition enables law enforcement to address diverse criminal activities under a unified framework.

- **Punishment for offences:** Stringent punishments, including the death penalty or life imprisonment, coupled with mandatory fines, serve as

मिथक

निर्दोष लोगों को शामिल करके संगठित अपराध का संभावित दुरुपयोग

सच

- **परिपूर्ण ढांचा**: भारतीय न्याय संहिता 2023 संगठित अपराध से निपटने के लिए धारा 111 पेश करता है, जो सिंडिकेट द्वारा संचालित गैरकानूनी गतिविधियों को खत्म करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह आंतरिक सुरक्षा खतरों के प्रति लक्षित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।

- **व्यापक परिभाषा** : भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 स्पष्ट रूप से संगठित अपराध को परिभाषित करती है, जिसमें अपहरण, डकैती, साइबर-अपराध आदि जैसे अपराधों का एक व्यापक वर्णक्रम शामिल है। यह व्यापक परिभाषा कानून प्रवर्तन को एक एकीकृत ढांचे के तहत विविध आपराधिक गतिविधियों को संबोधित करने में सक्षम बनाती है।

- **अपराधों के लिए सजा**: मौत की सजा या आजीवन कारावास सहित कठोर सजाएं, अनिवार्य जुमार्ने के साथ मिलकर, निवारक के रूप में काम करती हैं। ये दंड अपराध की गंभीरता के अनुपात में हैं, जो संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की गंभीरता पर जोर देते हैं।

deterrents. These penalties are proportionate to the severity of the offense, emphasising the gravity of engaging in organised criminal activities.

- **Forfeiture of properties of offenders:** Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 provides for the forfeiture of properties of proclaimed offenders and also provision for trial in absentia. The process of forfeiture provision against proclaimed offenders in Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 is structured to prevent harassment of innocent individuals by adhering to fair trial principles and judicial oversight.

Thus, judicial scrutiny and protection of innocent parties' rights are paramount, emphasising due process and transparency throughout.

- भारतीय न्याय संहिता 2023 घोषित अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने और अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का भी प्रावधान करता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 में घोषित अपराधियों के खिलाफ जब्ती का प्रावधान निष्पक्ष सुनवाई सिद्धांतों और न्यायिक निरीक्षण का पालन करके निर्दोष व्यक्तियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाया गया है।

इस प्रकार न्यायिक जांच और निर्दोष पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा सर्वोपरि है, जिसमें प्रक्रिया और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है।

MYTH ✕

Harsh punishment in hit-and-run cases under Bharatiya Nyaya Sanhita 2023

TRUTH ✓

To enhance road safety and justice for victims, BNS 2023 introduces intensified penalties to curb the rising incidents of hit-and-run accidents U/S 106(1), 106(2) of BNS 2023.

The Ministry of Home Affairs, Government of India, has taken note of the concerns raised by truckers regarding the provision of 10 years imprisonment and fines under Section 106 (2) of the BNS 2023.

Following detailed discussions with representatives of the All India Motor Transport Congress, it has been clarified that these new laws and provisions have not been implemented yet. The decision to invoke Section 106 (2) will only be taken after consultation with the All India Motor Transport Congress.

सत्यमेव जयते

मिथक ❌

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट-एंड-रन मामलों में कठोर सजा

सच ✔

पीड़ितों के लिए सड़क सुरक्षा और न्याय बढ़ाने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए तीव्र दंड पेश करता है।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 (2) के तहत 10 साल की कैद और जुमार्ने के प्रावधान के संबंध में ट्रक ड्राइवरों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान दिया है।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं किए गए हैं। धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।

सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

तीन नए कानून

देश ने अब जाना है, नए कानून का जमाना है।
तीन नए कानून की नई पुकार, सबको मिले समान व्यवहार।
अब न होगा किसी के साथ अत्याचार, अब हैं नए कानून और नए विचार।
तीन नए कानून, आमजन को हो मालूम।
आये हैं नए कानून, सबजन को हो मालूम।
नया सवेरा, नया सहारा, भारतीय कानून हमारा।
देर नहीं, अंधेर नहीं, जालिम की अब खैर नहीं।
छिनाझपटी की शिकार, माँ-बहने न हो लाचार।
अब डरने की कोई वजह नहीं, मुजरिम के छुपने की जगह नहीं।
कानून के होंगे लम्बे हाथ, मिलेगा विज्ञान का साथ।
तारीख नहीं अब न्याय मिलेगा, पीड़ित को सम्मान मिलेगा।
नई रोशनी, नया विधान, नव स्वप्न, नव विहान।
जमीन के झगड़ों में होगी अब पूरी निष्पक्षता।
तयशुदा समय में अब न्याय पाएंगे अन्नदाता।
बदला है पूरा कानूनी परिदृश्य, जहां फलता-फूलता है न्याय।
निष्पक्षता और पादर्शिता के साथ मिली है किसान को ढाल।
नए युग में डेटा आधारित है हमारा नया कानून।
हर दिन हो रहा है एक सुरक्षित नए भारत का निर्माण।
कोई पुरानी जंजीर नहीं, स्थान की बाध्यता नहीं।
जब है पूरा डेटा, तो त्वरित न्याय मिलेगा नए भारत में
ये दिल मांगे मोर, डिजिटल भारत की धड़कन है नया कानून।
हर कोई चाहे एक ही सौगात, अपराध मुक्त हो नया भारत।

'न्याय की धारा में, युवा की उम्मीद,
नए आपराधिक न्याय का कानून, हर कदम पर है सहारा'
'न्याय की धारा में, गरीब के साथी
नए आपराधिक न्याय का कानून, नए सवेरे की मिसाल'
'गरीबी के अंधकार में, नया उजाला है,
न्याय की संहिता में, हर कदम है प्यारा'
'नए आपराधिक न्याय का कानून, गरीबों का रक्षक
न्याय की तलवार से, जुड़ा है हर रास्ता
गरीब की आवाज, बढ़ाता है यह कानून,
न्याय की राहों में, गरीबों का है साथी

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

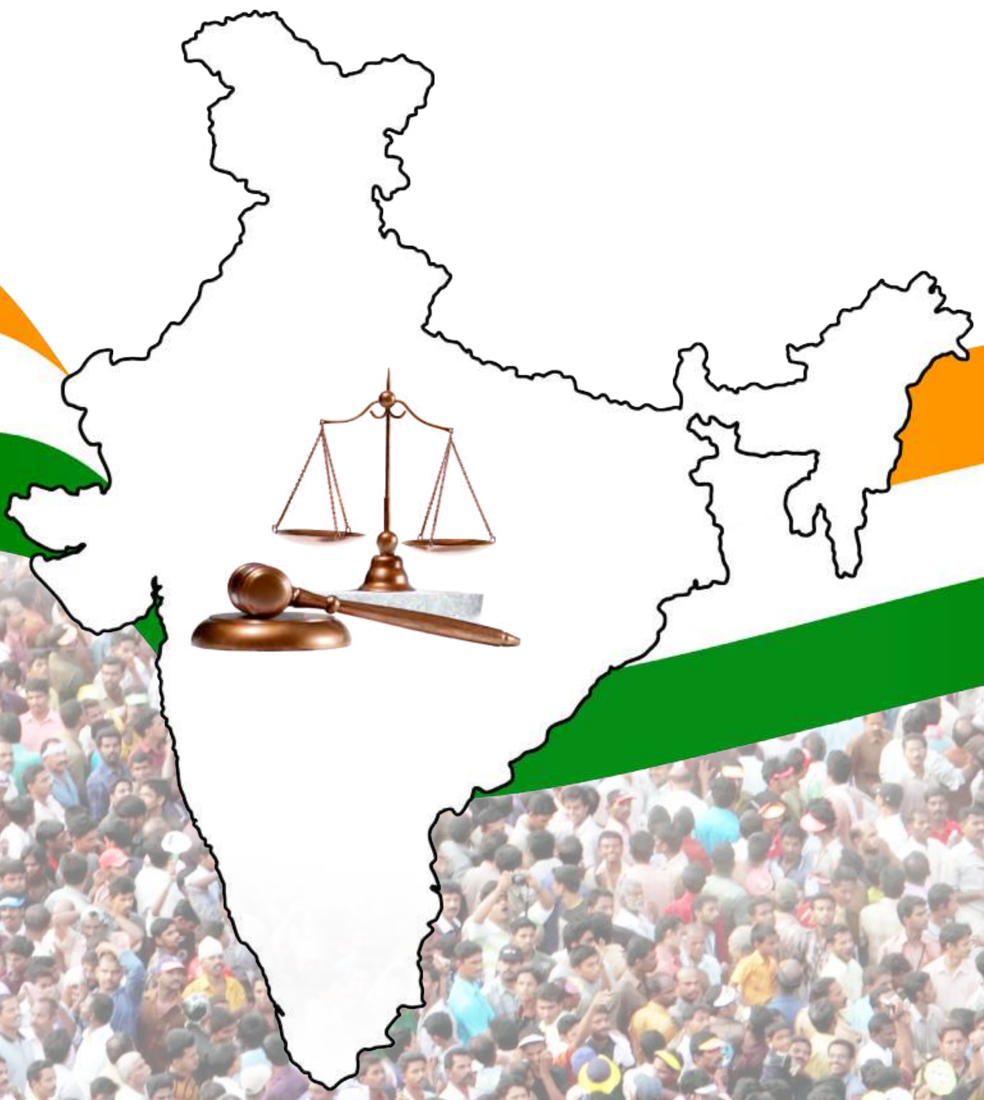

New Criminal Laws 2023

Collaborative Transformation: Stakeholder-Driven Reforms

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

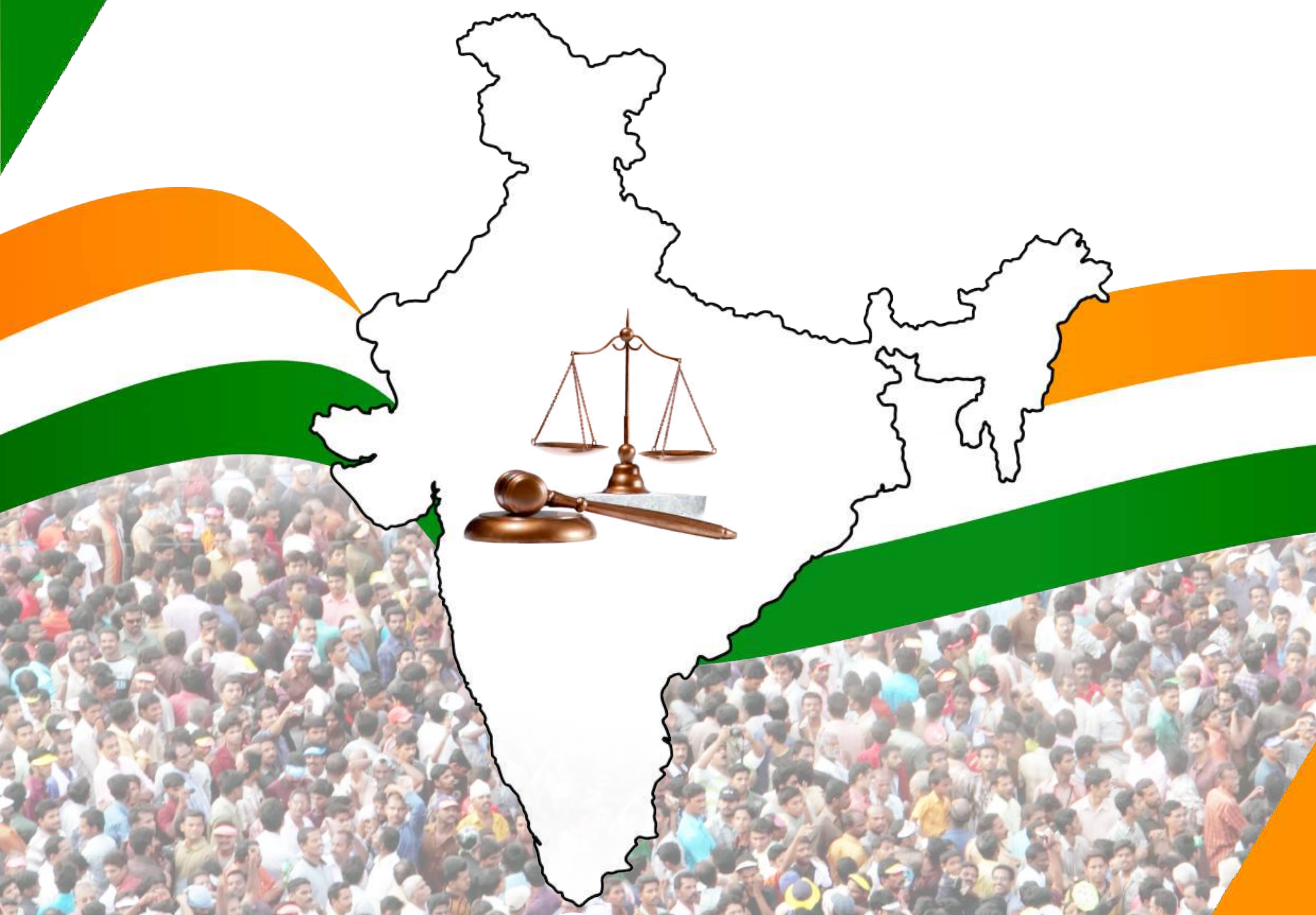

नए आपराधिक कानून 2023

सहयोगात्मक परिवर्तन: हितधारक-संचालित सुधार

Objectives

1. **Constitutional Justice:** Aligning with the vision of the Indian Constitution.
2. **Justice-Centric System:** Shift from being punishment-centric to justice-centric.
3. **Shedding Colonial Mindset:** By fulfilling the 'Panch Pran' pledge.
4. **Victim-Centric Justice:** Prioritising the rights and needs of victims.
5. **Accessible Justice:** Ensuring affordability, accessibility, and simplicity.
6. **Transparency and Accountability:** Making procedures consistent and transparent.

Aim

- **Fair and Time-Bound Investigation:** Ensuring evidence-based speedy trials.
- **Court and Prison Burden Reduction:** Streamlining the legal process.
- **Increased Conviction Rate:** Enhancing the effectiveness of justice delivery.

लक्ष्य

1. संवैधानिक न्याय : भारतीय संविधान की दृष्टि के अनुरूप।
2. न्याय-केंद्रित प्रणाली : दंड-केंद्रित से न्याय-केंद्रित की ओर बढ़ना।
3. गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना : 'पंच प्रण' का संकल्प पूरा करना।
4. पीड़ित-केंद्रित न्याय : पीड़ितों के अधिकारों और जरूरतों को प्राथमिकता देना।
5. सुलभ न्याय : सामर्थ्य, पहुंच और सरलता सुनिश्चित करना।
6. पारदर्शिता और जवाबदेही : प्रक्रियाओं को सुसंगत और पारदर्शी बनाना।

उद्देश्य

- निष्पक्ष और समयबद्ध जांच : साक्ष्य-आधारित त्वरित ट्रायल सुनिश्चित करना।
- न्यायालय और जेल के बोझ में कमी : कानूनी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।
- दोषसिद्धि दर में वृद्धि : न्याय वितरण की प्रभावशीलता में वृद्धि।

Consultative Process

- **Initiated in 2019:** Comprehensive review of criminal laws.
- **Stakeholder Involvement:** Consultations with Governors, CMs, Judges, MPs, IPS officers, and more.
- **Committee Formation:** Chaired by Vice-Chancellor, National Law University, Delhi.
- **Suggestions Received:** 3,200 from various stakeholders.
- **Hon'ble Home Minister's Efforts:** Over 150 meetings held to deliberate on the suggestions.

परामर्शात्मक प्रक्रिया

- 2019 में शुरूआत: आपराधिक कानूनों की व्यापक समीक्षा।
- हितधारकों की भागीदारी: राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, न्यायाधीशों, सांसदों, आईपीएस अधिकारियों और अन्य के साथ परामर्श।
- समिति का गठन: अध्यक्षता–कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली ।
- सुझाव : विभिन्न हितधारकों से 3200 सुझाव प्राप्त हुए।
- माननीय गृह मंत्री के प्रयास: प्राप्त सुझावों पर विचार–विमर्श के लिए 150 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं।

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

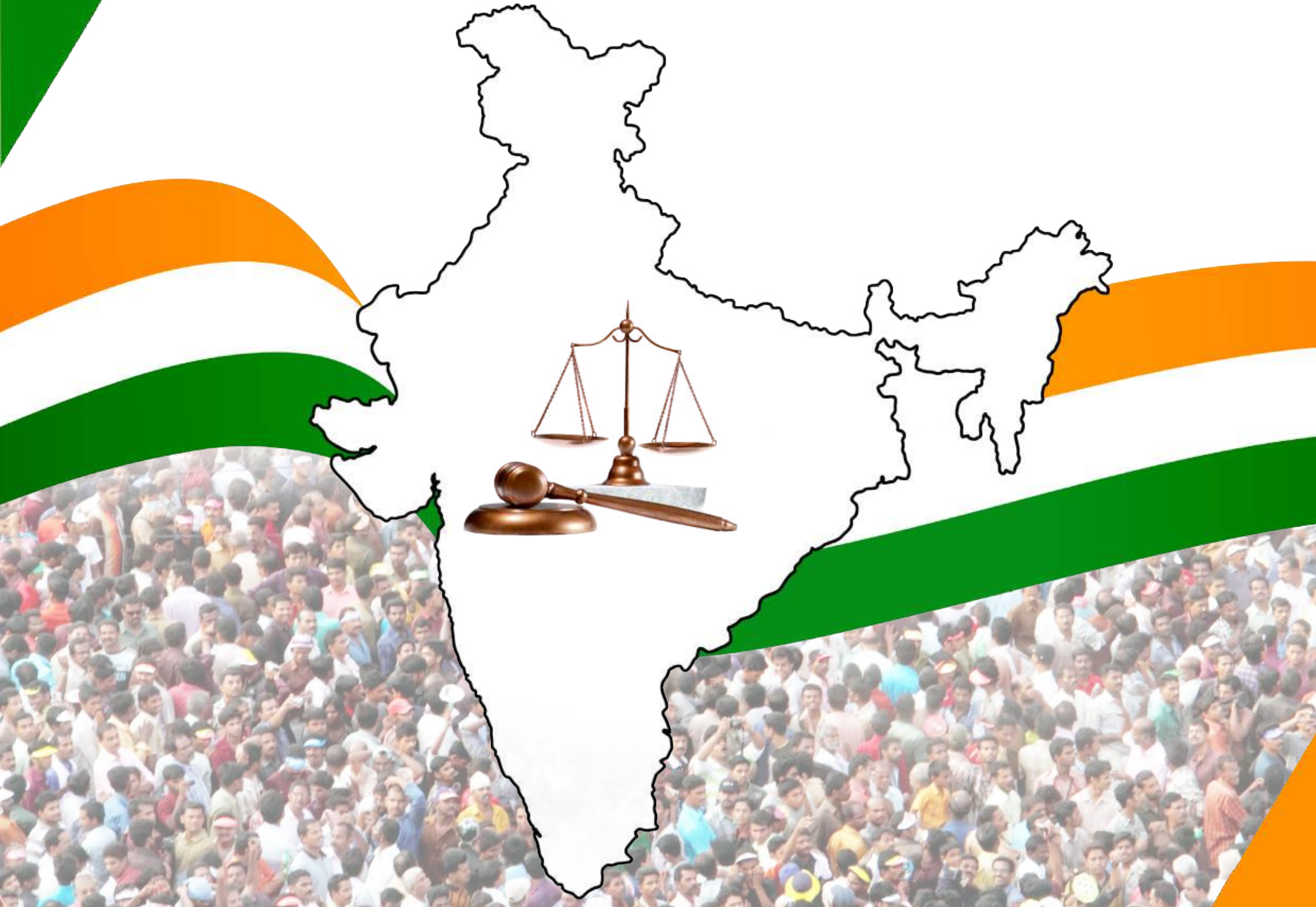

New Criminal Laws 2023

Transformative Judicial Reforms: Shaping a Just Future

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

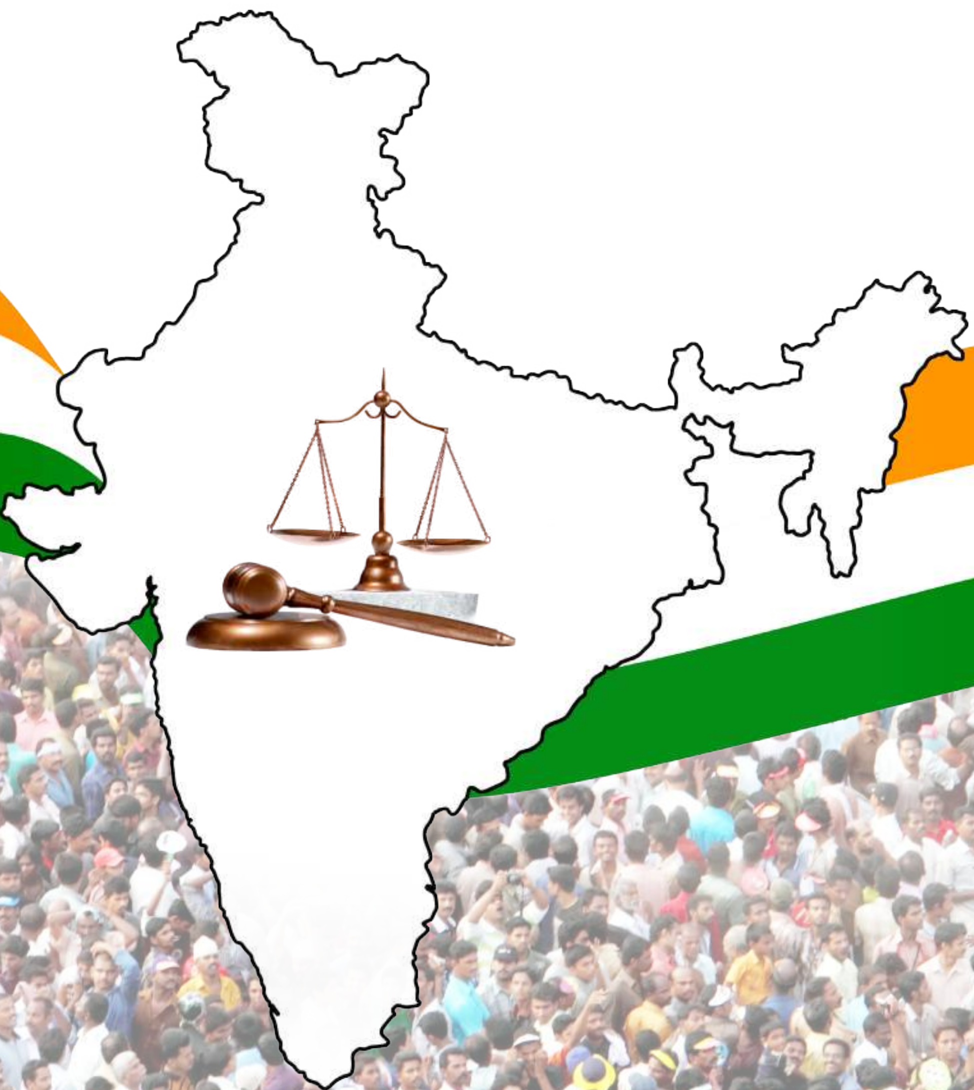

नए आपराधिक कानून 2023

परिवर्तनकारी न्यायिक सुधारः एक उचित भविष्य को आकार

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

Key Focus Areas

1. Swift Justice Delivery:

♦Streamlined process for expeditious resolution.

♦Adherence to strict timelines at every stage.

2. **Tech-Driven Legal Landscape:**

♦Utilising technology for electronic communication and proceedings.

♦Online access to justice, transcending geographical boundaries.

3. **Updated Legal Definitions:**

♦Revised definitions aligning with contemporary legal needs.

♦Clarity and precision in legal language.

4. **Empowered Law Enforcement:**

♦Appointment of police officers as Special Executive Magistrates.

♦Strengthening the role of law enforcement in justice delivery.

मुख्य फोकस क्षेत्र:

1. त्वरित न्याय वितरण:

- शीघ्र समाधान के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं।
- हर चरण पर सख्त समयसीमा का पालन।

2. तकनीक-संचालित कानूनी परिदृश्य:

- इलेक्ट्रॉनिक संचार और कार्यवाही के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
- भौगोलिक सीमाओं से परे, न्याय तक ऑनलाइन पहुंच।

3. अद्यतन कानूनी परिभाषाएँ:

- समसामयिक कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिभाषाएँ।
- कानूनी भाषा में स्पष्टता और सटीकता।

4. सशक्त कानून प्रवर्तन:

- विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति।
- न्याय वितरण में कानून प्रवर्तन की भूमिका को मजबूत करना।

5. **Localised Prosecution:**

- Establishment of District Directorate of Prosecution.
- Strengthening localised prosecution for effective legal proceedings.

6. **Community Service:**

- Courts empowered to impose fines, community service, or both.
- Reformative and Restorative approach.

7. **Transparency & Accountability:**

- Victims/informants informed about the investigation within 90 days.
- Fostering transparency and victim participation in the legal process.

8. **Trial in Absentia:**

- Initiation of trial in absentia against proclaimed offenders within 90 days.
- Expedited legal processes for effective justice.

5. स्थानीयकृत अभियोजन :

- जिला अभियोजन निदेशालय की स्थापना।
- प्रभावी कानूनी कार्यवाही के लिए स्थानीय अभियोजन को मजबूत करना।

6. सामुदायिक सेवा:

- अदालतों को जुमार्ना, सामुदायिक सेवा या दोनों लगाने का अधिकार है।
- सुधारात्मक और पुनर्स्थापनात्मक दृष्टिकोण।

7. पारदर्शिता एवं जवाबदेही:

- पीड़ितों/सूचनाकताओं को 90 दिनों के भीतर जांच की जानकारी देना।
- कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और पीड़ित की भागीदारी को बढ़ावा देना।

8. अनुपस्थिति में परीक्षण:

- 90 दिनों के भीतर घोषित अपराधियों के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा शुरू करना।
- प्रभावी न्याय के लिए त्वरित कानूनी प्रक्रियाएं।

सत्यमेव जयते

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

Transforming Criminal Justice: International Implications

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

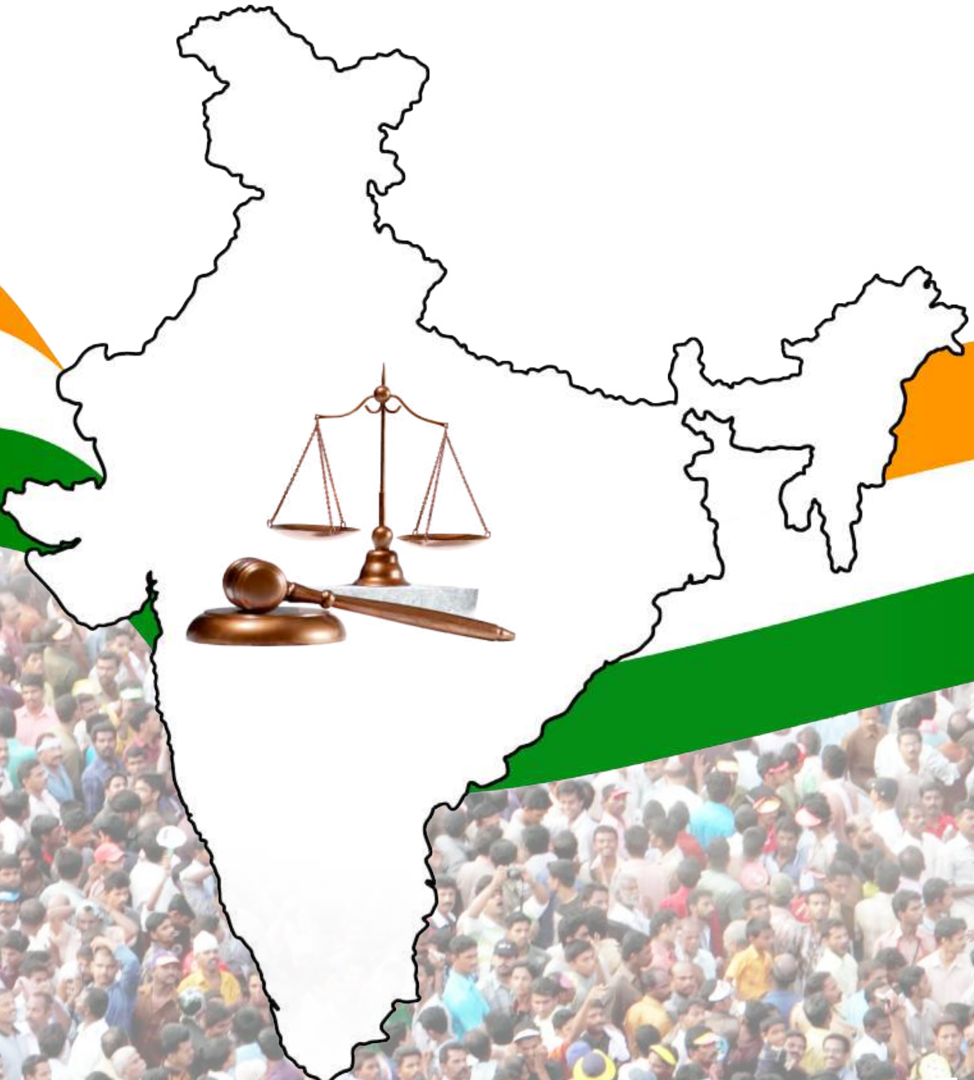

आपराधिक न्याय में परिवर्तन - अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ

In the spirit of justice reform, the Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, and Bharatiya Sakshya Adhiniyam introduce groundbreaking provisions with international implications.

1. Handling Global Offences :

♦New provisions for cases with international dimensions.

♦Enhanced framework for cooperation in transnational crimes.

2. Attachment of Properties Abroad :

♦Declaration of proclaimed offenders and attachment of properties abroad.

♦Expanded scope, covering 120 offences, including rape.

3. International Collaboration :

♦Encourages collaboration with international agencies for investigations.

♦Streamlining extradition process for efficient global cooperation.

न्याय सुधार की भावना में, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अंतरराष्ट्रीय निहितार्थों के साथ अभूतपूर्व प्रावधान पेश करते हैं।

1. वैश्विक अपराधों से निपटना:

- अंतरराष्ट्रीय आयाम वाले मामलों के लिए नए प्रावधान।
- अंतरराष्ट्रीय अपराधों में सहयोग के लिए उन्नत रूपरेखा।

2. विदेश में संपत्ति की कुर्की:

- घोषित अपराधियों की घोषणा और विदेश में संपत्ति की कुर्की।
- बलात्कार समेत 120 अपराधों को शामिल करते हुए दायरा बढ़ाया गया।

3. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग :

- जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- कुशल वैश्विक सहयोग के लिए प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।

सत्यमेव जयते

4. Organised Crimes Across Borders:

- ♦Introduction of a new section on organised crimes.
- ♦Defines and penalises secession, armed rebellion, and activities threatening sovereignty.

5. Extra-Territorial Jurisdiction:

- ♦Clarification on the admissibility of electronic records from foreign jurisdictions.
- ♦Recognition of electronic records as evidence with proper custodial procedures.

6. Extradition and Mutual Legal Assistance :

- ♦Streamlined process for extradition and mutual legal assistance.
- ♦ Ensures effective cooperation in legal matters beyond national borders.

4. सीमाओं के पार संगठित अपराध:

- संगठित अपराध पर एक नई धारा का परिचय।
- अलगाव, सशस्त्र विद्रोह और संप्रभुता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को परिभाषित और दंडित करता है।

5. अतिरिक्त-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार:

- विदेशी क्षेत्राधिकार से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता पर स्पष्टीकरण।
- उचित प्रक्रियाओं के साथ साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की मान्यता।

6. प्रत्यर्पण और पारस्परिक कानूनी सहायता:

- प्रत्यर्पण और पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं।
- राष्ट्रीय सीमाओं से परे कानूनी मामलों में प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करता है।

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

Victim-Centric Approach

Empowering Victims, Ensuring Justice

A Paradigm Shift towards Victim Empowerment

The new laws aim to enhance the efficiency, fairness, and accountability of the justice system. It recognises the victim as a stakeholder in the criminal trial, providing participatory rights and expanded right to information for the victim. The law has been reformed to place victims at the centre of the criminal justice system, offering unprecedented rights and opportunities.

Victim-Centric Features: A Holistic Approach

1. Right to Participation

Victims now have the right to express their views, reinforcing their role as stakeholders in criminal cases. The institutionalisation of Zero FIRs and the introduction of e-FIRs enhance accessibility, allowing victims to file reports anywhere irrespective of the crime location. For instance, Zero FIR is a provision under Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 that allows a person to register a First Information Report in any police station where information about a cognisable offence is provided, irrespective of the area where the offence is committed. It allows people to file an FIR online, without having to visit a police station in person. The e-FIR system is designed to be efficient as it eliminates the need for people to travel to a police station and wait in long queues to file a complaint. The system also allows people to track the status of their complaints online.

2. Right to Information

Section 360 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 aims to fill the historical void in Section 321 of the CrPC by ensuring the inclusion of victims' voices before permitting case withdrawal. It grants victims the authority to obtain a free copy of the FIR. The law also provides obligatory measures to keep victims informed about the progress of investigations within 90 days.

3. Transparency

The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 emphasises victim information rights by ensuring the supply of police reports, FIRs, and witness statements. It also gives provisions dedicated to providing victims with crucial information at various stages of investigation and trial.

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण

'पीड़ितों को सशक्त कर, न्याय सुनिश्चित करना!'

पीड़ित सशक्तिकरण की दिशा में एक आदर्श बदलाव

नए कानून का उद्देश्य न्याय प्रणाली की दक्षता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना है। यह पीड़ित को आपराधिक मुकदमे में एक हितधारक के रूप में मान्यता देता है, भागीदारी अधिकार प्रदान करता है और पीड़ित के लिए सूचना का विस्तारित अधिकार प्रदान करता है। पीड़ितों को अभूतपूर्व अधिकार और अवसर प्रदान करते हुए, पीड़ितों को आपराधिक न्याय प्रणाली के केंद्र में रखने के लिए कानून में सुधार किया गया है।

पीड़ित-केंद्रित की विशेषताएं : एक समग्र दृष्टिकोण

1. भागीदारी का अधिकार:

पीड़ितों को अब अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, जिससे आपराधिक मामलों में हितधारकों के रूप में उनकी भूमिका मजबूत होती है। शून्य एफआईआर के संस्थागतकरण और ई-एफआईआर की शुरूआत से पहुंच में वृद्धि हुई है, जिससे पीड़ितों को अपराध स्थान की परवाह किए बिना कहीं भी रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए, जीरो एफआईआर भारतीय न्याय संहिता के तहत एक प्रावधान है जो किसी व्यक्ति को किसी भी पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की अनुमति देता है, जहां संज्ञेय अपराध के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, भले ही अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो। ई-एफआईआर लोगों को व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन जाए बिना, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देती है। ई-एफआईआर प्रणाली को अधिक कुशल और सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि यह लोगों को शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने और लंबी कतारों में इंतजार करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। यह प्रणाली लोगों को अपनी शिकायतों की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने की भी अनुमति देती है।

2. सूचना का अधिकार:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 360 का उद्देश्य केस वापसी की अनुमति देने से पहले पीड़ितों की आवाज को शामिल करना सुनिश्चित करके सीआरपीसी की धारा 321 में ऐतिहासिक कमी को भरना है। यह पीड़ितों को एफआईआर की मानार्थ प्रति प्राप्त करने का अधिकार देता है। कानून पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में सूचित रखने के लिए अनिवार्य उपाय भी प्रदान करता है।

3. पीड़ितों के लिए पारदर्शिता और सूचना अधिकार

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर और गवाहों के बयानों की आपूर्ति सुनिश्चित करके पीड़ित के सूचना अधिकारों पर जोर देता है। यह पीड़ितों को जांच और परीक्षण के विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित प्रावधान भी देता है।